चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज- 5.0" महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा"

□"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5" के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह सिंह के निर्देशन में श्रेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में निरीक्षक अपराध श्री अंजनी सिंह, महिला आरक्षी पूनम व महिला आरक्षी पल्लवी द्वारा बालिका इण्टर कॉलेज मऊ में, उ0नि0 श्री बलवन्त सिंह, मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह, महिला आरक्षी निशा अहिरवार व महिला आरक्षी अंजू वर्मा द्वारा शारदा इण्टर कॉलेज में, उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,मुख्य आरक्षी सुशील कुमार व महिला आरक्षी अर्चना यादव द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका आवाशीय विद्यालय में इसी प्रकार जनपद समस्त एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं/बालिकाओ, छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के सम्बन्ध में जाकरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं

बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी तथा अफवाहों का ध्यान न देने की बात बतायी गयी एवं संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर थाना स्थानीय पर सूचना देने हेतु भी बताया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा पशुओ को क्रूरता पूर्वक लादकर ले जा रहे 05 अभियुक्तो को 40 रास भैंस मय पड़वा व पड़िया एवं 01 डीसीएम UP 71 AT 6880 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

(i).कमलेश्वर सिंह पुत्र अभयराज सिंह निवासी अतरहार थाना उचेहरा नागौद जिला सतना म0प्र0

(ii).गुलाम साबिर उर्फ बडे खान पुत्र शहनबाज निवासी अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0

(iii).अशरफ खान उर्फ बाबू खान पुत्र मो0 ताबीज निवासी डाड अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0

(iv).ताज मोहम्मद उर्फ लालू खान पुत्र चाँद खान निवासी मलावा बुजुर्ग थाना सराय इनायत जिला प्रयागराज हाल पता अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0

(v).राजभान उर्फ छोटू आदिवासी पुत्र मुन्ना आदिवासी निवासी अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0

बरामदगीः-

40 रास भैंस मय पड़वा व पड़िया

01 डीसीएम UP 71 AT 6880

गिरफ्तारी का स्थान,समय,दिनाँक-

धारकुण्डी रोड बरदहा नदी पुल के पास कल्याणपुर , 09.45 AM बजे, 21.09.2025

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2025 को उ0नि0 कन्हैया बक्श सिंह मय हमराह का0 कमलेश मय गाड़ी सरकारी UP 96 G 0126 मय चालक पीआरडी जीतनरायण के साथ देखभाल क्षेत्र,रोकथाम जुर्म जरायम चौकी हल्दीडांडी क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के चेकिंग मे भ्रमण शील थे जरिये मूखविर सूचना मिली कि एक डीसीएम में कुछ लोग जानवरो को लादकर चौकी हल्दीडांडी थाना मानिकपुर की तरफ आ रहे है। मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के धारकुण्डी रोड पर आगे बढ़े तो बरदहा नदी पुल के पास कल्याणपुर में एक डीसीएम UP 71 AT 6880 आता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस द्वारा डीसीएम को रोका गया तो चालक व आगे बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगे पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया। तब तक तीन और व्यक्ति डीसीएम में पीछे खडें हुये दिखायी दिये जिनको डीसीएम से उतारकर पकड़ लिया गया। पकडें गये पांचो

व्यक्तियों से नाम पूछते हुये भागने का कारण पूछा तो सामूहिक रुप से बताया कि डीसीएम गाड़ी में भैस व पडवा भरे है, इसलियें पुलिस को देखकर भाग रहे थे आप लोगो ने पकड़ लिया। पकडें गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमश: (I). कमलेश्वर सिंह पुत्र अभयराज सिंह निवासी अतरहार थाना उचेहरा नागौद जिला सतना म0प्र0 (II).गुलाम साबिर उर्फ बडे खान पुत्र शहनबाज निवासी अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0 (III). अशरफ खान उर्फ बाबू खान पुत्र मो0 ताबीज निवासी डाड अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0 वर्ष (IV).ताज मोहम्मद उर्फ लालू खान पुत्र चाँद खान निवासी मलावा बुजुर्ग थाना सराय इनायत जिला प्रयागराज हाल पता अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0 (V).राजभान उर्फ छोटू आदिवासी पुत्र मुन्ना आदिवासी निवासी अकौनी थाना सेमारिया जिला रीवा म0प्र0 बताया। डीसीएम को चेक किया गया तो काफी निर्दयता व बेरहमी पूर्ण तरीके से भैसो व पड़वा व पड़ियो को बांधकर ठूस - ठूस कर लादा गया था, जिनकी संख्या गिनती करने पर छोटी बडी मिलाकर 40 रास थी। बरामद जानवरो के सम्वन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो पांचे व्यक्ति दिखाने में कासिर रहे। पकडे गये व्यक्तियो का यह कृत्य धारा 11(1)क, पशु क्रूरता अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 172/25 धारा 11(1)(क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं बरामद डीसीएम नं0 UP 71 AT 6880 के सम्बन्ध में कागजात मांगा गया तो प्रस्तुत नही कर सके जिससे गाड़ी को मो0वाहन अधिनियम की धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना मानिकपुर की पुलिस टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना मानिकपुर

2.आरक्षी कमलेश

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना भरतकूप एवं थाना सरधुवा पुलिस टीम ने 02 अभियुक्तों को 02 अदद तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

थाना भरतकूप पुलिस टीम उ0नि0 श्री बलवन्त यादव मय हमराह आरक्षी शक्ति सिंह द्वारा अभियुक्त कल्लूराम यादव पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम जोधा का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 01 अदद तमंचा 12 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय मो0सा0 UP 90 S 9960 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामद मो0सा0 के सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

थाना सरधुवा पुलिस टीम उ0नि0 अजहर जमाल मय हमराह मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी व आरक्षी मुकद्दर सिंह द्वारा अभियुक्त श्यामबाबू निषाद पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम हस्ता बांगर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). श्री विनोद कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक रैपुरा मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 213/2025 धारा 69,333,352,351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त कुलदीप तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 कौशल सिंह द्वारा मु0नं0 256/2022,अ0सं0 475/2021 के वारण्टी अभियुक्त बुद्धविलाश निषाद पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।